इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2016—वैशाख 30 शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2016

क्र. एफ-1(ए) 190-91-ब-2-दो.—श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पूर्व) विशेष, पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 28 मई 2016 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 21 एवं 22 मई 2016 के पूर्ववर्ती एवं दिनांक 29 मई 2016 के पश्चातवर्ती शासकीय अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिदेशक (पश्चिम) विशेष, पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एम. अफजल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पूर्व) विशेष, पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एम. अफजल, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2016

क्र. एफ-1(ए) 147-90-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 23 से 30 मई 2016 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आशीष खरे, रापुसे, सहायक, पुलिस महानिरीक्षक , मुख्यालय(एस.टी.एफ.) भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य से मुक्त हो जावेंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2016

क्र. एफ-1(ए) 393-88-ब-2-दो.—डॉ. राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, प्रमुख सलाहकार राज्य योजना आयोग भोपाल को दिनांक 29 नवम्बर 2015 से 6 दिसम्बर 2015 तक पांच दिवस एवं 7, 08, एवं 09 दिसम्बर 2015 तक तीन दिवस (कुल आठ दिवस) अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29 नवम्बर 2015, 3 एवं 6 दिसम्बर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2016

क्र. एफ-1(ए) 166-1994-ब-2-दो.—श्री रूपसिंह मीना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (ए.एन.ओ.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 18 अप्रैल से 2 मई 2016 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री रूपसिंह मीना, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (ए.टी.एस.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रूपसिंह मीना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश, पुलिस महानिरीक्षक (ए.एन.ओ.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रूपसिंह मीना, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रूपसिंह मीना, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रूपसिंह मीना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 मई 2016

फा. क्र. 17-(ई) 44-2013-इक्कीस-ब(एक)-1401-2016.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग

में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी या समस्त अधिनियमितियों के अधीन अपराधों के विचारण के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय गठित करती है. उक्त न्यायालय की अध्यक्षता उसके (सारणी के) कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
4	भिण्ड	श्री कुलदीप जैन, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश.
7	छिंदवाड़ा	श्री दीपेश कुमार तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
9	दतिया	श्री तारकेश्वर सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया.
10	देवास	श्री प्रेमचन्द्र शर्मा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, देवास.
11	धार	डॉ. जे. सी. सुनहरे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धार.
15	हरदा	श्री राजेश कुमार कोष्ठा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.
16	होशंगाबाद	श्री आर. जी. कोठे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद.
17	इंदौर	श्री विनोद कुमार द्विवेदी, सत्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर.
18	जबलपुर	श्री आर. आर. बड़ोदिया, बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
20	कटनी	श्री अरविंद कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कटनी.
22.	मंदसौर	श्री विमल प्रकाश, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंदसौर.
23	मुरैना	श्री बी. एस. भदौरिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.
30	रीवा	श्री गोपाल श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा.
32	सतना	श्रीमती विभावरी जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सतना.
33	सीहोर	श्री श्यामकांत कुलकर्णी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीहोर.
36	शाजापुर	श्री राजकुमार भावे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर.
37	श्योपुर	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.
39	सीधी	श्री लीलाधर बौरासी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीधी.
42	उज्जैन	श्री ओमकारनाथ, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.
50	उमरिया	श्री एस. सी. पाल, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उमरिया.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F.No. B(1)-3476-2013-1401-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, constitute the Special

Court specified in column (2) of the table below, for the trial of offences under any or all the enactment specified in the schedule of the said act and the said court shall be presided by the Judge specified in column (3) thereof, namely :—

TABLE

S. No.	Name of District	Name & designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
4	Bhind	Shri Kuldeep Jain, IInd Additional Session Judge, Bhind.
7	Chhindwara	Shri Deepak Kumar Tiwari, IInd Additional Session Judge, Chhindwara.
9	Datia	Shri Tarkeshwar Singh, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Datia.
10	Dewas	Shri Prem Chandra Sharma, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Dewas.
11	Dhar	Shri J. C. Sunahare, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Dhar.
15	Harda	Shri Rajesh Kumar koshta, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Harda.
16	Hoshangabad	Shri R. G. Kothe, Special Judge, Schedule Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Hoshangabad.
17	Indore	Shri Binod Kumar Dwivedi, XVIIth Additional Session Judge, Indore.
18	Jabalpur	Shri R. R. Badodia, XIIth Additional Session Judge, Jabalpur.
(1)	(2)	(3)
20	Katni	Shri Arvind Kumar Shukla, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Katni.
22	Mandsaur	Shri Vimal Prakash, Special Judge, Scheduled Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Mandsaur.
23	Morena	Shri B. S. Bhadoria, Additional Session Judge, Morena.
30	Rewa	Shgri Gopal Shrivastava, IInd Additional Session Judge, Rewa.
32	Satn	Smt. Vibhawari Joshi, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Satna.
33	Sehore	Shri Shyamkant, Kurkarni Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sehore.
36	Shajapur	Shri Rajkumar Bhave, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shajapur.
37	Sheopur	Shri Akshaya Kumar Dwivedi, IInd Additional Session Judge, Sheopur.
39	Sidhi	Shri Liladhar Borasi, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sidhi.
42	Ujjain	Shri Omkarnath, Additional Session Judge,Ujjain.
50	Umaria	Shri S. C. Pal, Ist Additional Session Judge, Umaria.

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2016

फा. क्र. 17(ई) 43/2009-इक्कीस-ब(एक)-1402-16.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 64, 66, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82 एवं 86 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	श्री आशिष ताम्रकार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर
3.	श्री वीरेन्द्र तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	अनूपपुर	अनूपपुर	अनुपपुर	अनूपपुर
5.	श्री रवि प्रकाश जैन, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर
6.	श्री जफर इकबाल व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	चंदेरी	अशोकनगर	चंदेरी	चंदेरी
13.	श्री राकेश कुमार गोयल, बारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
14.	श्री सुनील कुमार मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	बैरसिया	भोपाल	बैरसिया	बैरसिया
15.	श्री निलेश जिराते, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर
19.	श्री कमलेश साहू, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	पांढुर्णा	छिन्दवाड़ा	पांढुर्णा	पांढुर्णा
21.	श्री संजय वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	हटा	दमोह	हटा	हटा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	श्री अभिषेक गोयल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सेवढ़ा	दतिया	सेवढ़ा	सेवढ़ा
25	श्री गौतम भट्ट, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	कन्नौद	देवास	कन्नौद	कन्नौद
28.	श्री सुरेश कुमार चौबे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	डिण्डौरी	डिण्डौरी	डिण्डौरी	डिण्डौरी
31.	श्री विवेक कुमार चन्देल व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	चाचौड़ा	गुना	चाचौड़ा	चाचौड़ा
32.	श्री तेजेन्दर सिंह अजमानी, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर
33.	श्री गिरिराज प्रसाद गर्ग, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	डबरा	ग्वालियर	डबरा	डबरा
37.	श्री अमित रंजन समाधिया, चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
38.	श्री कपिल सोनी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर
40.	श्री राजेश नंदेश्वर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ
41.	श्री राधेश्याम मधीया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	थांदला	झाबुआ	थांदला	थांदला
42	श्री भूपेन्द्र नकवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	कटनी	कटनी	कटनी	कटनी
43	श्री खालिद मोहतरम अहमद, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	मण्डला	मण्डला	मण्डला	मण्डला
44	श्री सुधांशु सिन्हा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर
48.	श्री मनोज कुमार भाटी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनि.) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	गाडरवारा	नरसिंहपुर	गाडरवारा	गाडरवारा
52.	श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	पवई	पवई	1. पवई 2. पन्ना.	1. पवई 2. पन्ना.
53.	श्री सूरज सिंह राठौर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	रायसेन	रायसेन	रायसेन	रायसेन
54.	श्री अमर गोयल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	बरेली	रायसेन	बरेली	बरेली
57.	श्री अमन सिंह भूरिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	जावरा	रतलाम	जावरा	जावरा
64.	श्री प्रभनेन्द्र कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	सीहोर	सीहोर	सीहोर	सीहोर
66.	श्री आशीष श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सिवनी	सिवनी	सिवनी	सिवनी
72	श्री नरसिंह बघेल द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
73	श्री संजय कुमार जैन (जूनि.) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
74	श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.	करेरा	शिवपुरी	करेरा	करेरा
77.	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (जूनि.) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	बैढ़न	सिंगरौली	बैढ़न	बैढ़न
78.	श्रीराम प्रकाश कटरोलिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़
79.	श्री सुनील दंडोतिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	निवाड़ी	टीकमगढ़	निवाड़ी	निवाड़ी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81.	श्रीमती वीणा खालको, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	महिदपुर	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर
82.	श्री दिलीप गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	उमरिया	उमरिया	उमरिया	उमरिया
86.	श्री अतुल सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.".	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव

F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(1)-1402-16.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(one)-13, dated 10th May 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 1, 3,5,6,13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 64, 66, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82 and 86 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S.No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Shri Ashish Tamrakar, I[st] Civil Judge, Class-II.	Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur
3.	Shri Vaarindra Tiwari Additional Judge to Civil Judge Class-I.	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
5.	Shri Ravi Prakash Jain, III[rd] Civil Judge, Class-I.	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar
6.	Shri Zafar Iqbal, Civil Judge Class-I.	Chanderi	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi
13.	Shri Rakesh Kumar Goyal, XII[th] Civil Judge Class-I.	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
14.	Shri Sunil Kumar Mishra, Additional Judge to Civil Judge Class-I.	Berasia	Bhopal	Berasia	Berasia
15.	Shri Nilesh Jirety IV[th] Civil Judge Class-I.	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur	Burhanpur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Shri Kamlesh Sahu, Civil Judge, Class-II.	Pandurna	Chhindwara	Pandurna	Pandurna
21.	Shri Sanjay Verma Civil Judge Class-I.	Hatta	Damoh	Hatta	Hatta
23.	Shri Abhishek Goyal, Civil Judge Class-I.	Sewdha	Datia	Sewdha	Sewdha
25.	Shri Gautam Bhatt Civil Judge Class-I.	Kannod	Dewas	Kannod	Kannod
28.	Shri Suresh Kumar Choubey, IInd Civil Judge Class-I.	Dindori	Dindori	Dindori	Dindori
31.	Shri Vivek Kumar Chandel, Civil Judge Class-I.	Chachoda	Guna	Chachoda	Chachoda
32.	Shri Tajinder Singh Ajmani, Viith Civil Judge Class-I.	Gwalior	Gwalior	Gwalior	Gwalior
33.	Shri Girraj Prasad Garg, Civil Judge Class-I.	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
37.	Shri Amit Ranjan Samadhiya, XIVIVth Civil Judge Class-I.	Indore	Indore	Indore	Indore
38.	Shri Kapil Soni, Civil Judge Class-I.	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur
40.	Shri Rajesh Nandeshwari, IInd Civil Judge Class-I.	Jhabua	Jhabua	Jhabua	Jhabua
41.	Shri Radheshyam Madhiya, Civil Judge Class-I.	Thandla	Jhabua	Thandla	Thandla
42.	Shri Bhupendra Nakwal, IInd Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I.	Katni	Katni	Katni	Katni
43.	Shri Khalid Mohtaram Ahmad, IInd Civil Judge Class-I.	Mandla	Mandla	Mandla	Mandla
44.	Shri Sudhanshu Sinha, IInd Civil Judge Class-I.	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur
48.	Shri Manoj Kumar Bhati, Ist Civil Judge Class-II.	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur
49.	Shri Rajesh Kumar Agrawal (Jr.) Civil Judge Class-I.	Gadarwara	Narsinghpur	Gadarwara	Gadarwara

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
52.	Shri Dhirendra Singh Mandloi, Civil Judge Class-I.	Pawai	Pawai	1. Pawai 2. Panna	1. Pawai 2. Panna.*
53.	Shri Suraj Singh Rathore, IIIrd Civil Judge Class-I.	Raisen	Raisen	Raisen	Raisen
54.	Shri Amar Goyal, IInd Civil Judge Class-I.	Bareli	Raisen	Bareli	Bareli
57.	Shri Aman Singh Bhuriya, Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I.	Jaora	Ratlam	Jaora	Jaora
64.	Shri Prabhanendra Kumar Singh, IInd Additional Judge to Civil Judge Class-I.	Sehore	Sehore	Sehore	Sehore
66.	Shri Ashish Shrivastava IInd Civil Judge Class-I.	Seoni	Seoni	Seoni	Seoni
72.	Shri Nar Singh Baghel, IInd Civil Judge Class-I.	Sheopur	Sheopur	Sheopur	Sheopur
73.	Shri Sanjay Kumar jain (Jr.) Additional Judge to Ist Civil Judge Class-I.	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
74.	Shri Ramesh Kumar Murari Lal Bhagwati, Additional Judge to Civil Judge Class-I.	Karera	Shivpuri	Karera	Karera
77.	Shri Ravindra Kumar Sharma (Jr.) IInd Additional Judge to I Civil Judge Class-I.	Waidhan	Singrauli	Waidhan	Waidhan
78.	Shri Ram Prakash Katroliya, IInd Civil Judge Class-I.	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh	Tikamgarh
79.	Shri Suneel Dandotiya, Civil Judge Class-I.	Niwari	Tikamgarh	Niwari	Niwari
81.	Shri Veena Xalxo, IInd Civil Judge Class-II.	Mahidpur	Ujjain	Mahidpur	Mahidpur
82.	Shri Dileep Gupta, IInd Civil Judge Class-I.	Umaria	Umaria	Umaria	Umaria
86.	Shri Atul Saxena, Civil Judge Class-I.	Bhikangaon	Mandleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-1400,1441-2016.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 1, 2, 4, 7, 7-क, 7-ख, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 39, 42, 47-1, 48, 49 एवं 52-अ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष, न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
1.	श्री विनोद कुमार द्विवेदी, सत्रहवें, अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर
2.	श्री ओमकारनाथ, अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.	उज्जैन	उज्जैन
3.	श्री गोपाल श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश, रीवा.	रीवा	रीवा
7.	श्री विमल प्रकाश, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
7-क	श्री जे. सी. राठौर, अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश, मंदसौर.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय मंदसौर.	मंदसौर
7-ब	श्री अंजनी नंदन जोशी, अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश, गरोठ.	गरोठ	तहसील गरोठ तथा भनपुरा के स्थानीय क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों के विचारण के लिये लंबित मामले.
8	श्री आर. आर. बड़ोदिया, बारहवें अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर
10.	श्री राजकुमार भावे, विशेष न्यायालधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर.	शाजापुर	शाजापुर
14.	श्री आर. जी. कोठे, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद.	होशंगाबाद	होशंगाबाद
15.	श्री श्यामकांत कुलकर्णी, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीहोर.	सीहोर	सीहोर

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	श्री कुलदीप जैन, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	भिण्ड	भिण्ड
18.	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, देवास.	देवास	देवास
25.	श्री बी. एस. भदौरिया, अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश, मुरैना.	मुरैना	मुरैना
26.	डॉ. जे. सी. सुनहरे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धार.	धार	धार
30.	श्री दीपेश कुमार तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
31.	श्री तारकेश्वर सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया.	दतिया	दतिया
39.	श्रीमती विभावरी जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सतना.	सतना	सतना
42.	श्री लीलाधर बौरासी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीधी.	सीधी	सीधी
47-1	श्री अरविंद कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कटनी.	कटनी	कटनी
48.	श्री राजेश कुमार कोष्ठा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.	हरदा	हरदा
49	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.	श्योपुर	श्योपुर
52-अ.	श्री एस. सी. पाल, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उमरिया.	उमरिया	उमरिया.''.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1)2013-1400,1441-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B (1), dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1 dated the 17th April 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 1, 2, 4, 7, 7-A, 7-B, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 39, 42, 47-1, 48, 49 and 52-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely :—

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Shri Binod Kumar Dwivedi, XVIIth Additional Session Judge, Indore.	Indore	Indore
2.	Shri Omkarnath, Additional Session Judge, Ujjain.	Ujjain	Ujjain
4.	Shri Gopal Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Rewa.	Gwalior	Gwalior
7.	Shri Vimal Prakash, Special Judge, Schedule Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Mandsaur.	Mandsaur	Mandsaur
7-A.	Shri J. C. Rathore, Additional, Sessions Judge, Mandsaur.	Additional Special Court, Mandsaur	Mandsaur
7-B.	Shri Anjani Nandan Joshi, Additional Sessions Judge, Garoth.	Garoth Mandsaur	Garoth Mandsaur
8.	Shri R. R. Badodia, XII Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur
10.	Shri Rajkumar Bhave, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shajapur.	Shajapur	Shajapur
14.	Shri R. G. Kothe, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Hoshangabad.	Hoshangabad	Hoshangabad
15.	Shri Shyamkant Kurkarni, Special Judge, Schedule Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sehore.	Sehore.	Sehore.

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Shri Kuldeep Jain, IInd Additional Session Judge, Bhind.	Bhind	Bhind
18.	Shri Prem Chandra Sharma, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Dewas.	Dewas	Dewas
25.	Shri B. S. Bhadoria, Additional Session Judge, Morena.	Morena	Morena
26.	Shri J. C. Sunahare, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Dhar.	Dhar	Dhar
30.	Shri Deepak Kumar Tiwari, IInd Additional Sesssion Judge, Chhindwara.	Chhindwara	Chhindwara
31.	Shri Tarkeshwar Singh, Special Judge, Schedule Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Datia.	Datia	Datia
39.	Smt. Vibhawari Joshi, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Satna.	Satna	Satna
42.	Shri Liladhar Borasi, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sidhi.	Sidhi	Sidhi
47-1.	Shri Arvind Kumar Shukla, Special Judge, Schedule Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Katni.	Katni	Katni
48.	Shri Rajesh Kumar koshta, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Harda.	Harda	Harda
49.	Shri Akshaya Kumar Dwivedi IInd Additional Sesssion Judge, Sheopur.	Sheopur	Sheopur
52-A.	Shri S. C. Pal, Ist Additional Sessions Judge, Umaria.	Umaria	Umaria.''.

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in the notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक)-1442-16.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 24 एवं 33 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

अनु. क्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
" 24.	सेशन न्यायाधीश, झाबुआ	झाबुआ
33.	सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	राजगढ़.".

F. No. 1-1-88-XXI-B(1)-1442-016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No-1-1-88-XXI-B(1), Dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 6th November, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for serial number 24 and 33 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Session Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
" 24.	Session Judge, Jhabua	Jhabua
33.	Session Judge, Rajgarh	Rajgarh.".

फा. क्र. 17(ई) 8-2012-इक्कीस-ब (एक)-1487-2016.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च, 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

अनु-क्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3(1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनि.), द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, जबलपुर.	जबलपुर.".

F. No. 17(E)8-2012-1969-XXI-B(1)1487-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011, (No. 8 of 2012) read with sub section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the follwing amendments in this department's Notification No. F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One), dated 2nd March 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 2nd March, 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Judge	Name of Special Court constituted u/s 3(1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011	Head Quarter
(1)	(2)	(3)	(4)
" 3.	Shri Rajesh Kumar Shrivastava (Sr.) IInd Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Special Court No. 1, Jabalpur	Jabalpur.".

फा. क्र. 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक)-1487-2016.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च, 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)	मुख्यालय का नाम (3)	अधिकारिता (4)
"3.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनि.), द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर	राजस्व जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, उमरिया, डिण्डोरी, शहडोल तथा अनूपपुर का समाविष्ट क्षेत्र.".

F. No. 17(E)8-2012-1969-XXI-B(1)1487-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam, 2012, the State Government in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the follwing amendments in this department's Notification No. F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One), dated 2nd March 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 2nd March, 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of Authorized Officer (2)	Place of Head Quarter (3)	Jurisdiction (4)
" 3.	Shri Rajesh Kumar Shrivastava (Sr.) IInd Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Jabalpur	Area comprising Revenue Districts Sagar, Damoh, Panna, Chhatarpur, Tikamgarh, Satna, Umaria, Dindori, Shahdol & Anuppur.

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-1502-016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्याक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 26, 42, 72, एवं 107 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
" 26.	देवास	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियॉ/ अनुसूचित जनजातियॉ (अत्याचार निर्वारण) अधिनियम, 1989, देवास.	सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26-ए, 27, 28 एवं 28-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
42.	होशंगाबाद	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश होशंगाबाद.	सिविल जिला होशंगाबाद का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 43, 44, एवं 44-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
72.	राजगढ़	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियॉ/ अनुसूचित जनजातियॉ (अत्याचार निर्वारण) अधिनियम, 1989, राजगढ़	सिविल जिला राजगढ़ का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 73, 74, एवं 74-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
107	विदिशा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश विदिशा.	सविल जिला विदिशा का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 108 एवं 109 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).".

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-1502-016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 26, 42, 72 & 107 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"26.	Dewas	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Dewas.	All electricity area of Civil District Dewas (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 26-A, 27, 28 and 28-A).
42.	Hoshangabad	IInd Additional Sessions Judge, Hoshangabad	All electricity area of Civil District Hoshangabad (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 43, 44, and 44-A).
72.	Rajgarh	Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Rajgarh.	All electricity area of Civil District Rajgarh (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 73, 74 and 74-A).
107.	Vidisha	Ist Additional Sessions Judge, Vidisha.	All electricity area of Civil District Vidisha (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 108 and 109).".

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-1502-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्याक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 4, 9, 11, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 32-ए, 42, 44-ए, 52, 54, 55, 60, 61, 64, 66, 72, 74, 74-ए, 82, 84, 95, 97, 100, 101, 105-ए, 106, 107, 109 एवं 110 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	अलीराजपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.	श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.
4.	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.	श्री अमिताभ मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.
9.	बड़वानी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेंधवा.	श्री अजय कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेंधवा.
11.	बैतूल	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुलताई.	श्री एम. एस. तोमर, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुलताई.

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	छतरपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.	श्री भरत सिंह रावत, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.
20.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर.	श्री दिलीप कुमार नागले, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर.
24.	दतिया	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निर्वारण) अधिनियम, 1989, दतिया.	श्री तारकेश्वर सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निर्वारण) अधिनियम, 1989, दतिया.
26.	देवास	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निर्वारण) अधिनियम, 1989, देवास.	श्री प्रेमचंद्र शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निर्वारण) अधिनियम, 1989, देवास.
28.	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.	कु. नीना आशापुरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.
29.	धार	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार.	श्री यशवंत सिंह परमार, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार.
31.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर.	श्री प्रकाशचन्द्र गुप्ता (सीनि.) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर.
32.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सरदारपुर	श्री अतुल कुमार खंडेलवार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सरदारपुर.
32-ए	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धरमपुरी.	श्री कालू सिंह बरिया, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धरमपुरी.
42.	होशंगाबाद	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद	श्री अवधेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद
44-ए	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी.	श्री प्रेम नारायण सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी.
52.	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा.	श्री पी. एल. दिनकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा
54.	कटनी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.	श्री जे. एम. राव, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.
55.	मण्डला	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला.	कु. कल्पना उपाध्याय, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला.
60.	मुरैना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना	श्री बी. एस. भदौरिया, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.
61.	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह.	श्री वैभव मण्डलोई, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह.
64.	नरसिंहपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	श्रीमती किरण सिंह द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.
66.	नीमच	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच.	श्री आर. पी. शर्मा, (जूनि.), प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,नीमच.
72.	राजगढ़	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निर्वारण) अधिनियम, 1989, राजगढ़.	श्री कुशल पाल सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निर्वारण) अधिनियम, 1989, राजगढ़.
74.	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़.	श्री उमेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़.
74-ए	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.	श्री अशोक कुमार शर्मा, (जूनि. 1), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.

(1)	(2)	(3)	(4)
82.	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली.	श्री अश्वाक अहमद खान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली.
84.	सतना	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.	श्रीमती उषा गेदाम चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
95.	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर.	श्रीमती विधि सक्सेना, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर.
97.	श्योपुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.
100.	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.	श्री तरूण राकेश स्टेनली अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.
101.	सीधी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी.	श्री राजीव कुमार आयाची, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी.
105-ए	उज्जैन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महीदपुर	श्री पूरन चन्द्र गुप्त, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महीदपुर.
106.	उमरिया	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया.	श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया.
107.	विदिशा	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा.	श्रीमती वंदना जैन, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा.
109	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरोंज.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरोंज.
110.	मण्डलेश्वर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर	श्री योगेश दत्त (शुक्ला) प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.".

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(One)-1502-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial number 1, 4, 9, 11, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 32-A, 42, 44-A, 52, 54, 55, 60, 61, 64, 66, 72, 74, 74-A, 82, 84, 95, 97, 100, 101, 105-A, 106, 107, 109 & 110 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Alirajpur	Ist Additional Sessions Judge, Alirajpur	Shri Chandra Mohan Upadhyay, Ist Additional Sessions Judge, Alirajpur.
4.	Ashok-nagar	Ist Additional Sessions Judge, Ashoknagar.	Shri Amitabh Mishra, Ist Additional Sessions Judge, Ashoknagar.
9.	Badwani	IInd Additional Sessions Judge, Badwani.	Shri Ajay Kumar Singh IInd Additional Sessions Judge, Badwani.
11	Betul	Ist Additional Sessions Judge, Betul.	Shri M. S. Tomar, Ist Additional Sessions Judge, Betul
18.	Chhatar-pur	IInd Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	Shri Bharat Singh Rawat IInd Additional Sessions Judge, Chhatarpur.
20.	Chhatar-pur	Additional Sessions Judge, Bijawar.	Shri Dilip Kumar Nagle Additional Sessions Judge, Bijawar.
24.	Datia	Special Judge, Scheduled Castes and/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Datia	Shri Tarkeshwar Singh, Special Judge, Scheduled Castes and / Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989, Datia.

(1)	(2)	(3)	(4)
26	Dewas	Special Judge, Scheduled Castes and/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Dewas.	Shri Prem Chandra Sharma, Special Judge, Scheduled Castes and / Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989, Dewas.
28.	Dewas	Additional Sessions Judge, Kannod.	Ku. Neena Ashapure, Additional Sessions Judge, Kannod.
29.	Dhar	IInd Additional Sessions Judge, Dhar.	Shri Yashwant Singh Parmar, Additional Sessions Judge, Dhar.
31.	Dhar	Additional Sessions Judge, Manawar	Shri Prakash Chandra Gupta, (Sr.), Additional Sessions Judge, Manawar.
32.	Dhar	Additional Sessions Judge, Sardarpur.	Shri Atul Kumar Khandelwal, Additional Sessions Judge, Sardarpur.
32-A	Dhar	Additional Sessions Judge, Dharampuri	Shri Kalu Singh Bariya, Additional Sessions Judge, Dharampuri.
42.	Hoshan-gabad	IInd Additional Sessions Judge, Hoshangabad.	Shri Awadesh Kumar Singh, IInd Additional Sessions Judge, Hoshangabad.
44-A	Hoshan-gabad	Additional Sessions Judge, Itarsi.	Shri Prem Narayan Singh, Additional Sessions Judge, Itarsi.
52.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Sihora.	Shri P. L. Dinkar, Additional Sessions Judge, Sihora.
54.	Katni	IIIrd Additional Sessions Judge, Katni.	Shri J. M. Rao, IIIrd Additional Sessions Judge, Katni.
55.	Mandla	IIIrd Additional Sessions Judge, Mandla.	Smt. Kalpna Upadhyay, IIIrd Additional Sessions Judge, Mandla.
60.	Morena	IInd Additional Sessions Judge, Morena.	Shri B. S. Bhadoria, IInd Additional Sessions Judge, Morena.
61.	Morena	Additional Sessions Judge, Ambah.	Shri Vaibhav Mandloi, Additional Sessions Judge, Ambah.
64.	Narsingh pur.	IInd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.	Smt. Kiran Singh, IInd Additional Sessions Judge, Narsinghpur.
66.	Neemuch	Ist Additional Sessions Judge, Neemuch.	Shri R. P. Sharma (Jr.) Ist Additional Sessions Judge, Neemuch.
72.	Rajgarh	Special Judge, Scheduled Castes and/ Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Rajgarh.	Shri Kushal Pal Singh, Special Judge, Scheduled Castes and / Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989, Rajgarh.
74	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Narsinghgarh	Shri Umesh Kumar Gupra, Additional Sessions Judge, Sarangpur.
74-A	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Sarangpur.	Shri Ashok Kumar Sharma, (Jr.-1), Additional Sessions Judge, Narsinghgarh.
82.	Sagar	Additional Sessions Judge, Rahli.	Shri Ashwaque Ahmed Khan, Additional Sessions Judge, Rahli
84.	Satna	IVth Additional Sessions Judge, Satna.	Smt. Usha Gedam, IVth Additional Sessions Judge, Satna.
95.	Shajapur	Additional Sessions Judge, Agar.	Smt. Vidhi Saxena, Additional Sessions Judge, Agar.
97.	Sheopur	IInd Additional Sessions Judge, Sheopur.	Shri Akshay Kumar Dwivedi, IInd Additional Sessions Judge, Sheopur.
100.	Shivpuri	Additional Sessions Judge, Pichhore.	Shri Tarun Rakesh Standli, Additional Sessions Judge, Pichhore.

(1)	(2)	(3)	(4)
101.	Sidhi	Ist Additional Sessions Judge, Sidhi.	Shri Rajeev Kumar Ayachi, Ist Additional Sessions Judge, Sidhi.
105	Ujjain -A	Additional Sessions Judge, Mahidpur	Shri Pooran Chandra Gupta, Additional Sessions Judge, Mahidpur.
106.	Umariya	Ist Additional Sessions Judge, Umariya.	Shri Suresh Chandra Pal Ist Additional Sessions Judge, Umariya.
107.	Vidisha	Ist Additional Sessions Judge, Vidisha.	Smt. Vandana Jain, Ist Additional Sessions Judge, Vidisha.
109.	Vidisha	Additional Judge to Additional Sessions Judge Sironj.	Shri Rajendra Pd. Gupta, Additional judge to Additional Sessions Judge, Sironj.
110.	Mandle-shwar	Ist Additional Sessions Judge, Mandleshwar.	Shri Yogesh Dutt Shukla, Ist Additional Sessions Judge, Mandleshwar.".

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-1509-2016.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष, न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
"13	श्री बी. आर. पाटिल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दमोह.	दमोह	दमोह.".

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1) 1509-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B (1), dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated the 17th April 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No. (1)	Name and designation of the Judge (2)	Special Court (3)	Local area Session divisions (4)
"13.	Shri B. R. Patil, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Damoh.	Damoh	Damoh.".

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 17-(ई) 44-2013-इक्कीस-ब(एक)-1512-16.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. ब(एक)-3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5 एवं 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
"5.	भोपाल	श्रीमती अनुराधा शुक्ला, सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
8.	दमोह	श्री बी. आर. पाटिल, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दमोह.".

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F.No. 17 (E)-44-2013-XXI-B(One)-1512-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. B (1) 3476-2013, dated 11th September 2013, which was publication in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 20th September 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification in the Table for serial No. 5 and 8 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of District	Name & Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"5.	Bhopal	Smt. Anuradha Shukla, XVIth Additional Sessions Judge, Bhopal.
8.	Damoh	Shri B. B. Patil, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Damoh.".

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मार्च 2015 द्वारा श्री राजेन्द्र आर. सुगंधी, अधिवक्ता, इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त किया गया था. श्री राजेन्द्र आर. सुगंधी ने दिनांक 16 अप्रैल 2015 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया था.

अत: राज्य शासन, श्री राजेन्द्र आर. सुगंधी, अधिवक्ता, इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर दिनांक 16 अप्रैल 2016 से दिनांक 15 अप्रैल 2017 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त करता है.

2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2016

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-1510-2016.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों को सारणी के कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिऐ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हों, पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है—

सारणी

अनु.-क्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
"1.	श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल
2.	श्री जय प्रकाश सिंह, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर".

F.N. 1-5-96-XXI-B(one)-1510-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to be Presiding Officer for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof to try the cases relating to the offences specified under Section 3 of the said Act, and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation and which are specially assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be :—

TABLE

S. No.	Name of Judge	Head Quarter
(1)	(2)	(3)
"1.	Shri Raveendra Kumar Bhadrasen, IInd Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal
2.	Shri Jai Prakash, IVth Additional Sessions Judge, Indore.	Indore.".

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-1510-2016.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों को उसके कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अपराधों का स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन, अन्वेषण किये गये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण करने के लिए, अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में एतद् पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है:—

सारणी

अनु. क्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री सिकंदर सिंह परमार, नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर
2.	श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.	गुना
3.	श्रीमती अनुराधा शुक्ला, सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल
4.	श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.	भिण्ड
5.	श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, छतरपुर.	छतरपुर

F.N. 1-5-96-XXI-B(one)-2424-2015.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be Presiding Officers for area Specified in the corresponding entry in column (3) thereof to try the cases relating to the offences specified under Section 3 of the said Act in relation to various examinations Conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board, investigated by the Special Task Force, Bhopal, Delhi Police and Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) :—

TABLE

S. No.	Name of Judge	Head Quarter
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Sikandar Singh Parmar, IXth Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Jabalpur

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Pramod Kumar Agrawal, I[st] Additional Sessions Judge, Guna.	Guna
3.	Smt. Anuradha Shukla, XVI[th] Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal
4.	Shri Yogesh Kumar Gupta, I[st] Additional Sessions Judge, Bhind.	Bhind
5.	Shri Bharat Bhushan Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Chhatarpur.	Chhatarpur

This Notification is being issued in addition to the earlier Notifications issued in respect of VYAPAM matters.

भोपाल, दिनांक 5 मई 2016

फा. क्र. 1-अ-1-15-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में नियुक्त समस्त निम्नलिखित विधि अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक 7 मार्च 2016 से उनके कार्यकाल समाप्ति या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान करता है :—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

अतिरिक्त महाधिवक्ता :—

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री पुरूषेन्द्र कौरव	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर
2	श्री करमजीत सिंह वाधवा	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर

उप महाधिवक्ता पद हेतु :—

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री संजय द्विवेदी	उप महाधिवक्ता
2	श्री समदर्शी तिवारी	उप महाधिवक्ता

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता :—

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री दिवेश जैन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
2	श्री पुष्पेन्द्र यादव	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री गिरीश कैकरे	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
4	श्री स्वपनिल गांगुली	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
5	श्रीमती शाहिन फातिमा	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
6	श्री प्रमोद कुमार पाण्डे	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
7	श्री दीपक अवस्थी	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
8	श्री ब्रम्हदत्त सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
9	श्री व्यंकटेश प्रसाद पाण्डेय	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
10	श्रीमती दिव्य कीर्ति बोहरे	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
11	श्री अमित सेठ	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
12	श्री अजय प्रताप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
13	श्री अखिलेन्द्र सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
14	श्री पियूष धर्माधिकारी	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
15	श्री आशीष आनन्द बर्नाड	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
16	श्री अजय शुक्ला	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
17	श्री प्रदीप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.

उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता :—

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
2	सुरभि निगम	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री जाहान्वी पंडित	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2016

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 31), राज्य शासन, श्री विनायक गुप्ता पिता श्री राजवर्धन गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090— 920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झांसी (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 07 जून, 1991 है.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2016

फा. क्र. 3(बी)2-2014-इक्कीस-ब-(एक) 1782.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2014 की चयन सूची दिनांक 3 सितम्बर 2015 में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री नेहा यति (मेरिट क्र. 47) की ओर से प्रेषित आवेदन पत्र, विचारोपरांत स्वीकार करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, सुश्री नेहा यति का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 47 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है. साथ ही सुश्री नेहा यति का नियुक्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 25 फरवरी 2016 निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 मई 2016

फा. क्र. 1752-इक्कीस-ब(दो)-2016.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24(8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा श्री अजय कुमार जैन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन रीवा संभाग के विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1752-इक्कीस-ब(दो)-2016.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24(8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री विवेक गौड़, जिला लोक अभियोजन अधिकारी को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन भोपाल संभाग के विशेष न्यायालय में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1752-इक्कीस-ब(दो)-2016.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24(8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री मनोज कुमार पाठक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन उज्जैन संभाग के विशेष न्यायालय में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1752-इक्कीस-ब(दो)-2016.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24(8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री अशोक कुमार सोनी, उप संचालक अभियोजन को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन इन्दौर संभाग के विशेष न्यायालय में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 6 मई 2016

फा. क्र. 1(बी)-20-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन श्री मदन बिहारी श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, शिवपुरी की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.

फा. क्र. 1(बी)-8-2004-इक्कीस-ब-(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला-पन्ना राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा नियुक्त करता है:—

क्रमांक	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1.	श्री जितेन्द्र बैस	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला पन्ना.
2.	श्री छदामी लाल लोधी (सिंगरौल)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक तह. पवई, जिला पन्ना.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 मई 2016

रा. प्र. क्र.-03-अ-82-2014-2015-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत **पिपरिया-राजगुरू-पौनारी-कोपाखेड़ा मार्ग निर्माण हेतु** निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु **मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को **प्रारूप "क"** में सूचना दी जाकर उनसे **प्रारूप "ख"** में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में **पिपरिया-राजगुरू-पौनारी-कोपाखेड़ा मार्ग निर्माण हेतु** निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-कोपाखेड़ा प. ह. नं.-15 ब. न.-37 रा. नि. मं.-अमरवाड़ा 2 तहसील अमरवाड़ा.	1. भगवानदास पिता गिरधारीलाल कलार निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमि स्वामी.	219/1	0.142	पिपरिया-राजगुरू-पौनारी कोपाखेड़ा मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
			2. हेमन्त कुमार पिता गिरधारीलाल कलार निवासी ग्राम कोपाखेड़ा भूमि स्वामी.	291/2	0.142	
			3. इन्द्रकुमार पिता बालाराम कलार निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमि स्वामी.	220/3-221/2-222	0.093	
			4. नवीनकुमार पिता कन्हैयालाल बरई निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमि स्वामी.	224/4-225/8	0.016	
			5. सम्पूरवती वि. बालाराम इन्दकुमार जयकुमार पिता बालाराम कलार निवासी ग्राम कोपाखेड़ा भूमि स्वामी.	225/3-266-227/1-2	0.049	
				303/2-304-306/1 307/1	0.020	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			6. सुभाष कुमार पिता संतकुमार कलार निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.	228	0.073	
			7. घनश्याम पिता शिवचरण कलार निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.	237/1	0.008	
			8. शांति विधवा शिवचरण आशा पिता शिवचरण कलार निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.	237/5	0.008	
			9. सोविन्द पिता शिवचरण कलार निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.	237/9	0.008	
			10. हरिश्याम पिता शिवचरण कलार निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.	237/10	0.008	
			11. हरगोविन्द पिता शिवचरण कलार निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.	237/11	0.008	
			12. इन्द्रकुमार पिता शिवचरण कलार निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.	237/12	0.008	
			13. गिरजाबाई पति कपसलाल गोंड निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.	275/1	0.024	
			14. पूरनलाल पिता गलझरिया गोंड निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.	275/5	0.135	
			15. चरनलाल पिता गलझरिया गोंड निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.	275/7	0.024	
			16. रामचरण पिता नोखेलाल कलार निवासी ग्राम- भूमिस्वामी ग्राम-कोपाखेड़ा.	275/10 315/2, 317/2	0.159 0.065	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			17. बुद्धिलाल पिता डालचन्द कलार निवासी-ग्राम- भूमि स्वामी कोपाखेड़ा.	282/3	0.140	
			18. सुमेरचन्द पिता फूलचन्द जैन निवासी- ग्राम भूमिस्वामी ग्राम- कोपाखेड़ा.	284/1 284/3- 285 303/1-3	0.081 0.061 0.081	
			19. श्यामसिंह पिंता कोदूसिंह राजपूत निवासी-अमरवाड़ा भूमिस्वामी ग्राम-कोपाखेड़ा.	284/5	0.243	
			20. ध्यानाबाई वि. रामभरोस, प्रदीप, अनिल, सुदेश, पिता रामभरोस कलार निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम-कोपाखेड़ा.	308 310/1	0.163 0.117	
			21. मासूमबी वि. गुलाम मो. मकसूद अहमद पिता गुलाम मो. निवासी- अमरवाड़ा भूमिस्वामी ग्राम-कोपाखेड़ा.	310/2	0.141	
			22. भंगी पिता हंसराम गोड निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम-कोपाखेड़ा.	314/1	0.008	
			23. सत्यनारायण पिता तीरथलाल कलार निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम कोपाखेड़ा.	315/1- 317/1 कुल योग . .	0.077 02.102	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र.-12-अ-82-2014-2015-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत **चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु** निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु **मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को **प्रारूप "क"** में सूचना दी जाकर उनसे **प्रारूप "ख"** में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में **चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु** निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	परासिया	ग्राम-दरबई ब. न.-264 प. ह. नं.-9/2 रा. नि. मं.- परासिया.	1. काशीराम पिता सुमरलाल गौंड निवासी ग्राम-दरबई भूमिस्वामी.	282/4	0.012	चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
			2. टीकाराम पिता सुमरलाल गौंड निवासी ग्राम-दरबई, भूमिस्वामी.	282/3	0.012	
			3. सुमरवति पति सुमरलाल गोंड निवासी ग्राम-दरबई, भूमिस्वामी.	282/2	0.024	
			4. श्यामलाल पिता बिरजू गौली निवासी ग्राम-दरबई, भूमिस्वामी.	273/2	0.049	
			5. अनिता पति मस्तराम मेहरा निवासी ग्राम-भूमि भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.	261	0.040	
			6. मनीराम पिता किशनलाल गौली निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.	257	0.405	
			7. बाबूलाल पुत्र उदेसिंग, लक्ष्मी, ज्ञाना, पुत्री उदेसिंग, चुन्नीलाल गेंदू पुत्रगण लखन, मीरा वि. रामनाथ, ना. बा. मंतू पुत्र रामनाथ, ना. बा. पुष्पा पुत्री रामनाथ, पा.मा. मीरा वि. रामनाथ, भागा वि. बिसनलाल, ओमनी	209/2	0.510	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			मनीराम महेश पुत्रगण, किशनलाल, श्रीराम पुत्र मोहन गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.			
			8. रामकुमार पिता उदेचन्द, दीपक कुमार अव्य. पुत्र उदेचन्द, स. मॉ. मनसबाई, सीमा अव्य. पुत्री उदेचन्द, स. मॉ. मनसबाई वि. उदेचन्द मेहरा निवासी- ग्राम जामई, भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.	265	0.040	
			9. सुहागा पति माखनलाल गौली, निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी ग्राम-दरबई.	263/2 263/3	0.162 0.016	
			10. कला वि. रामप्रसाद गुलाब चन्द तेजसिंग पुत्रगण रामप्रसाद, छितिया वि. धारासिंग विनोद पुत्र धारासिंह विजय अव्य. विश्वनाथ पुत्रगण धारासिंग, स. मॉ. छितिया, सरिता पुत्री धारासिंग, मुस्तीबाई ताराबाई पुत्रीगण रामप्रसाद मेहरा निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.	258 262 264 266	0.121 0.032 0.081 0.012	
			11. फागलाल पुत्र सबूत, सुरतू पुत्र छोटू, मक्खू पुत्र बालकराम अहीर, निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.	267	0.040	
			12. फागलाल पुत्र सबूत अहीर, निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम दरबई.	260	0.153	
			13. द्वारका, ईश्वरदास पुत्रगण शोभाराम, रामवती वि. शोभाराम, गिरजा, दुर्गा, सीता पुत्रीगण शोभाराम गौली निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम दरबई.	259/2	0.040	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			14. बिहारीलाल बेनीप्रसाद पुत्रगण प्रेमलाल पंखी वि. प्रेमलाल मीराबाई वि. भुवनलाल अव्य. रामजी, जगदीश पुत्रगण भुवनलाल पा. मॉ. मीराबाई रामप्यारी, राजकुमारी पुत्रियां भुवनलाल ना. बा. चैनवती पुत्री भुवनलाल गौली निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम-दरबई,	255/3 256/3 259/1	0.081 0.016 0.081	
			15. कौसा बाई पति मनीराम, हिविया बाई पति महेश गौली निवासी-ग्राम चरईकला, भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.	209/3	0.439	
			16. भजनलाल पिता वीरू, सुमरवती पुत्री वीरू, ज्ञानी पुत्र ठेंगू, नवलाल रघुनाथ पुत्रगण वंशलाल गोंड निवासी-ग्राम भूमि स्वामी ग्राम-दरबई.	282/1	0.032	
			17. तेजा पिता रामप्रसाद मेहरा निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम दरबई.	251	0.008	
				कुल योग . .	02.406	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3584-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—सिंगना, प.ह.नं.-07, ब. नं.-282, रा.नि.मं.-चौरई, तहसील-चौरई.	रकबा 03.800 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली आर 3 माइनर नहर के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3585-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—खटकर, प.ह.नं.-07, ब. नं.-22, रा.नि.मं.-चौरई, तहसील-चौरई.	रकबा 01.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली आर 4 सबमाइनर नहर के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3586-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम—झिरिया, प.ह.नं.-15, ब. नं.-108, रा.नि.मं.-चॉद तहसील-चॉद.	रकबा 03.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 9 आर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3587-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम—खूटपिपरिया प.ह.नं.-45/4 ब. नं.-51, रा.नि.मं.-चॉद तहसील-चॉद.	रकबा 0.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 8 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3588-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम—राजलवाडी प.ह.नं.-13, ब. नं.-242, रा.नि.मं.-चॉद तहसील-चॉद.	रकबा 01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नादना शाखा नहर की 9 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3589-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—सिरेगांव प.ह.नं.-16 ब. नं.-288, रा.नि.मं.-चौरई, तहसील-चौरई.	रकबा 08.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली आर 4, 5 एवं नादना शाखा नहर की 1, 2, 3 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3590-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम—केरिया, प.ह.नं.-15, ब. नं.-29, रा.नि.मं.-चॉद, तहसील-चॉद.	रकबा 06.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 9 आर एवं 10 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3591-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम—बम्हनीलाला, प.ह.नं.-37, ब. नं.-190, रा.नि.मं.-चॉद, तहसील-चॉद.	रकबा 08.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3592-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम—मोहगांवकला, प.ह.नं.-45/4, ब. नं.-239, रा.नि.मं.-चॉद.	रकबा 04.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 8 आर माइनर 9 आर सबमाइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3593-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम—नांदना, प.ह.नं.-14, ब. नं.-148, रा.नि.मं.-चॉद तहसील-चॉद.	रकबा 07.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 13 आर माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3594-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम—बाड़ीवाडा प.ह.नं.-20, ब. नं.-198, रा.नि.मं.-चॉद तहसील-चॉद.	रकबा 06.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमिका अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3595-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—मेडावानी प.ह.नं.-37, ब. नं.-233, रा.नि.मं.-चौरई तहसील-चौरई.	रकबा 02.800 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 4 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3596-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम—आमाझिरी प.ह.नं.-26, ब. नं.-06, रा.नि.मं.-चांद तहसील-चॉद.	रकबा 01.300 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 14 एल माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3597-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चॉद	ग्राम—पांजरा प.ह.नं.-16, ब. नं.-162, रा.नि.मं.-चांद.	रकबा 01.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 13 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3598-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—उदादौन प.ह.नं.-38, ब. नं.-08, रा.नि.मं.-चौरई. तहसील-चौरई.	रकबा 04.800 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 5 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3599-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—पलटवाडा, प.ह.नं.-36, ब. नं.-160, रा.नि.मं.-चौरई, तहसील चौरई.	रकबा 04.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 6,7,8 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3600-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम—परसोली, प.ह.नं.-14, ब. नं.-158, रा.नि.मं.-चॉद, तहसील चॉद.	रकबा 06.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 13 आर, 14 एल एवं 15 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 3601-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)-101-2013-एमपीएस-31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—बाम्हनवाडा, प.ह.नं.-12, ब. नं.-202, रा.नि.मं.-चौरई, तहसील चौरई.	रकबा 04.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली आर 4, 5 एवं नांदना शाखा नहर की 1,2,3 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मण्डी निर्वाचन) जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्र. मंडी-निर्वा.-अधिसूचना-2016-04.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति पोरसा, जिला मुरैना के उप निर्वाचन 2016 में अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)
श्री छत्तर सिंह तोमर	अध्यक्ष	ग्राम रावत का पुरा, तहसील पोरसा, जिला मुरैना

विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वा).

कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 7 मई 2016

आदेश

क्र. एफ-1-7-15-रा.स.-यू.ए.-1-541.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर एतद्द्वारा डॉ. नरेन्द्र कुमार धाकड़ 296, तिलक नगर, इन्दौर-452018 (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा की शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर (म. प्र.).

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश—462 011

भोपाल, दिनांक 11 मई 2016

आदेश

क्र. एफ. 67-04-13-तीन-242.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2012 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् पीथमपुर जिला धार** के आम निर्वाचन में **डॉ. रमेश कुशवाह,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 19 दिसम्बर 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2013 तक **डॉ. रमेश कुशवाह** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, धार के पत्र दिनांक 11 फरवरी 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **डॉ. रमेश कुशवाह** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **डॉ. रमेश कुशवाह** को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 5 मार्च 2013 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **डॉ. रमेश कुशवाह** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **डॉ. रमेश कुशवाह** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 13 जून 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 28 जून 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया कि—कार्यालयीन पत्र दिनांक 23 दिसम्बर 2015 से डॉ. रमेश कुशवाह से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन की प्रति तहसीलदार, धरमपुरी के माध्यम से चाही गई थी. परन्तु पत्र तामीली उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन की प्रति तहसीलदार, धरमपुरी को प्रस्तुत नहीं की गई.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **डॉ. रमेश कुशवाह** को दिनांक 26 अप्रैल 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया किन्तु अभ्यर्थी **डॉ. रमेश कुशवाह** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अभ्यर्थी **डॉ. रमेश कुशवाह** को जारी सूचना पत्र दिनांक 30 मार्च 2016 की तामीली विहित समयावधि में कराई गई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **डॉ. रमेश कुशवाह** द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **डॉ. रमेश कुशवाह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् धामनोद जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिक़ारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. 1234-भू-अर्जन-2016.—प्रकरण क्र. 18-अ-82-2014-15 में ग्राम जूनापानी, तहसील सनावद, जिला खरगोन की निजी भूमि रकबा 8.431 हेक्टेयर के भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट अधिनियम, 2012 की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना जिसका प्रकाशन दिनांक 4 मार्च 2016 को राजपत्र पृष्ठ क्रमांक 687 एवं 688 पर किया गया है में निम्नलिखित त्रुटि पायी गयी है जिसे निम्नानुसार सही पढ़ा जावे.

	खसरा	**रकबा**
त्रुटि पूर्ण प्रकाशन	85/4	0.291
सही प्रकाशन जो किया जाना है	84/4	0.291

शेष विषय यथावत रहेगा.

मधुवंत राव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्र. सामान्य-1-16-5049.—देवास जिले में ग्रीष्म/वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की अशुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन समस्त बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जावें.

अस्तु, मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, म. प्र. आपत्तिजनक /हैजा/ज्वर/आंत्रशोध विनिमय 1979 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला देवास के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि:—

1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनलाओं, होटलों जनता के लिये खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर:—

(1) बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं, व सड़े गले फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, कॉफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिशिद्ध रहेगी.

(2) बासी मिठाइयों व नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जियों, उबली हुई चाय, शर्बत, मांस मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे. उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कांच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढक कर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सके.

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण एक व दो में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये गये भोजन को न तो लाएगा और न ही ले जायेगा.

3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा सके स्थानों में प्रवेश करने वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच-पड़ताल करने, निरीक्षण करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुओं जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित हैं और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त हैं तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई नीति से पाई गई अस्वास्थ्यकारक दूषित अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने, नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिए जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जाने से रोकी जा सकें, के लिये अधिसूचित

क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं, जो पृथक्-पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे:—

1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे के स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य, आयुर्वेदिक औषधालय.
3. आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
5. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक, सह खाद्य निरीक्षक, नगरपालिका/नगर पंचायत (सर्व). . . .
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, . . . (सर्व) जिला देवास.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, नालों, गटरों, पानी के गन्दे गडढे, पोखरों, जलकुण्डों, संडासों, वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने के संबंध में सूचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश जारी दिनांक से आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगी.

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. 24-स्था. निर्वा.-मण्डी-137-2016.—मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छतरपुर, मण्डी अधिनियम की धारा 11(1) (ञ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का मण्डी समिति में एक प्रतिनिधियों के लिये नामनिर्दिष्ट) नियम-2010 के अन्तर्गत छतरपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:—

क्रमांक	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा	प्रस्तावित करने वाले सांसद/विधायक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	175-लवकुशनगर	शिवमंगल पाठक पिता श्री चंद्रभान पाठक ग्रा. पो. परसनियां, तह. चंदला, जिला छतरपुर म. प्र.	धारा 11 (1) (ञ)	अध्यक्ष, जिला पंचायत, छतरपुर
	176-हरपालपुर	श्री प्रीतम यादव पिता श्री भुमानी सिंह अहीर ग्रा. बिलहरी, तह. नौगांव, जिला छतरपुर म. प्र.		
	177-बड़ामलहरा	श्री कल्याण यादव श्री बंदीलाल अहीर ग्रा. विजयपुर (भरतौली) पो. डिकौली, जिला छतरपुर म. प्र.		
	178-छतरपुर	श्रीमती कलावती अनुरागी पति श्री हरप्रसाद अनुरागी ग्रा. बैनीपुर, पो. ठकुर्रा, तह. गौरिहार, जिला छतरपुर म. प्र.		
	179-राजनगर	श्रीमती चंदा राजे पति श्री विजय प्रताप सिंह ग्रा. मनकारी, तह. महाराजपुर, जिला छतरपुर म. प्र.		
	180-बिजावर	श्रीमती ऊषा यादव पति श्री दिनेश यादव विजयपुर (भरतौली) पो. डिकौली जिला छतरपुर म. प्र.		
	181-बक्सवाहा	श्रीमती हरीबाई अहिरवार पति श्री बृजबिहारी अहिरवार ग्रा. हीरापुर, पो. सरकना, तह. घुवारा, जिला छतरपुर म. प्र.		

मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2016

क्र. एफ. 02-02-2016-एक-906.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डॉ. सुतेश शाक्य, स्टाफ आफिसर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव के पद पर वेतनबैंड-ग्रेड पे 15,600—39,100+7,600 में पदोन्नत किया जाता है.

2. आयोग में उप सचिव का पद एकांगी पद है. अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2002-3-एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा.

3. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

4. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है.

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. 567-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.

अतएव राज्य सरकार को ग्राम पेटलावद, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	पेटलावद/05	325	0.062
			322	0.015
			327	0.023
			328	0.012
			330/1	0.016
			326	0.001
			321	0024
			317	0018
			320	0.018

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			319		0.022
			318		0.044
			309/1		0.040
			284		0.029
			303/1		0.003
			304/1		0.080
			305/1		0.002
			287		0.012
			286		0.042
				कुल योग . .	0.462

क्र. 569-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.

अतएव राज्य सरकार को ग्राम हनुमंत्या, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक		उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
झाबुआ	पेटलावद	हनुमंत्या/26	111		0.058
			112		0.092
			104/1		0.047
			103		0.065
			116/2		0.017
			59/1		0.056
			60		0.041
			61/1		0.058
			53/3		0.006
			53/2		0.045
			53/1		0.034
			51		0.051
			122		0.003
				कुल योग . .	0.573

क्र. 571-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.

अतएव राज्य सरकार को ग्राम हनुमानगढ़, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	हनुमानगढ़/26	84	0.035
			82	0.001
			59	0.011
			55	0.003
			67	0.027
			63	0.020
			कुल योग . .	0.097

क्र. 573-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.

अतएव राज्य सरकार को ग्राम सुअरपाड़ा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	सुअरपाड़ा/26	520	0.008
			519	0.027
			518	0.018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			517	0.040
			485/1	0.037
			90/1	0.036
			81	0.037
			473/1	0.020
			475/1	0.027
			474/1	0.033
			454/1	0.036
			460	0.049
			410	0.003
			405	0.031
			406	0.028
			407	0.021
			408	0.025
			184	0.053
			183	0.010
			182/1	0.045
			106	0.023
			92	0.034
			104	0.044
			93	0.002
			89	0.042
			82	0.002
			79	0.024
			68/1	0.030
			60	0.022
			62	0.027
			61	0.002
			63	0.005
			490/1	0.050
			459/1	0.023
			458/1	0.022
			कुल योग . .	0.937

क्र. 575-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.

अतएव राज्य सरकार को ग्राम खोरिया तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	खोरिया/03	1080	0.056
			1061	0.020
			1020/3	0.090
			1030	0.003
			1019	0.013
			1026	0.006
			1029	0.020
			1028	0.003
			1049	0.023
			1048	0.028
			1043	0.024
			1044	0.005
			1045	0.029
			कुल योग . .	0.320

क्र. 577-भू-अर्जन-री-1-16-17.—एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.

अतएव राज्य सरकार को ग्राम बरड़िया, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	पेटलावद	बरड़िया/03	458/2	0.045
			451	0.020
			450	0.020
			448/2	0.011
			448/1	0.019
			446	0.010
			445	0.011
			447	0.009
			444	0.066
			259	0.012
			416	0.016
			176	0.002
			253	0.052
			255	0.011
			257	0.045
			258	0.020
			248	0.005
			175	0.022
			177	0.033
			178	0.011
			160	0.021
			159	0.017
			158	0.015
			139	0.035
			143/1	0.015
			146/2	0.031
			146/1	0.004
			145	0.033
			87	0.040
			96	0.014
			91	0.103
			92	0.023
			कुल योग . .	0.786

अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 27 अप्रैल 2016

प. क्र.-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा. नि. म.	ग्राम / प. ह. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा. नि. म. छपारा	पायली प.ह.नं. 36	0.52 हे.	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतू निर्माण संभाग सिवनी, जिला सिवनी.	पुल निर्माण हेतु पहुँच मार्ग

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. 130-भू-अर्जन-2016-.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	चकहट	0.077	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. क्र. 7, जिला सतना म. प्र.	बरगी व्यवपवर्तन परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 5 मई 2016

क्र. 152-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बन्दरिया	0.449	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	अधियारी सागर बांध डूब क्षेत्र सिंचाई सुविधा हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 153-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	जोवा	0.934	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	अधियारी सागर बांध डूब क्षेत्र सिंचाई सुविधा हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 154-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	बापूपुर	0.242	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, सतना (म. प्र.).	अधियारी सागर बांध नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 2 मई 2016

प्र. क्र. 081-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पिपरिया तिवारी	निजी भूमि रकबा 0.33 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 0.33 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	हथकुरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 मई 2016

प्र. क्र. 1425-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	मिसिरग वां 850	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म.प्र.).	बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 10 मई 2016

प्र. क्र. 4203-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के लिये अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित में सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	बेलहा (खैरा)	3.52	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4205-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के लिये अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित में सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	पोखडौर	3.35	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4207-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	देवरहा	2.11	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4209-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	बल्लहा	2.29	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4211-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	दुअरा खुर्द	3.52	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4213-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	तेन्दुहा	6.35	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4215-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के

प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	पड़रिया (पोखडौर)	5.30	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4217-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	जिगनहा	1.41	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4219-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के

प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	भितरी	7.39	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4221-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	जोगीकोठार	1.76	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4223-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं

करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	गजरही	8.80	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4225-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	करौंदी	4.58	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र. क्र. 4227-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध

है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	सदला	6.16	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4229-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	जनकपुर	6.10	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4231-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	कुशियारी	3.87	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4233–भू–अर्जन–2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि–अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	सरखनिया	0.50	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 4235–भू–अर्जन–2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि–अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	बहरी	कुशियार	4.58	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).	मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. 869-भू-अर्जन-2016-प्र. क्र. 02-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 11(1) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रतलाम	रतलाम	रतलाम	1052/01	0.040	सचिव, कृषि उपज मंडी, रतलाम	कृषि उपज मंडी प्रांगण विस्तार हेतु भू-अर्जन बाबत्.
			1057	0.500		
			1058	0.400		
			1064/1	0.140		
			1064/4	0.050		
			1064/5	0.050		
			1064/11	0.030		
			1064/3	0.100		
			1072/1	0.740		
			1072/2	0.200		
			1078/1	0.500		
			1063/2	0.360		
			1063/1	0.200		
			1063/3	0.300		
			1063/4	0.200		
			1063/5/1	0.110		
			1063/5/2	0.090		
			1063/6	0.200		
			1063/7	0.175		
			1063/8	0.175		
			1042	0.150		
			योग . .	4.710		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण.—अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. 3109-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—हरनाखेड़ी, ब.नं.-306, प.ह.नं.-36/18, रा.नि.मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
313, 314	0.087
305/3-4	0.032
305/1	0.080
305/6, 315	0.014
305/5	0.006
331	0.036
293/2	0.023
296/3, 298	0.093
297/2	0.026
296/1	0.016
296/4	0.016
295/1	0.026
295/3	0.023
294/1	0.042
293/1, 294/2	0.032
189/4	0.030
221/1	0.330
217/7	0.120
218/2, 217/4, 218/8	0.130
153/2	0.035
154/2, 153/4, 154/4	0.160
146	0.080
145	0.002
24/1	0.048
24/3	0.032
24/2	0.080
31/1, 32/1	0.020
30	0.013
29	0.048
27, 28	0.032
43/2, 44/2, 45/3	0.032
187/1	0.052
185/1, 186/1	0.048
181, 182, 183	0.100
योग . .	01.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3110-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—तिघराचंपत, ब.नं.-116, प.ह.नं.-29, रा.नि.मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.088 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
52/2	0.074
52/1	0.035
54/4	0.038
56/6	0.032
55/2	0.026
53	0.013
56/4-8	0.096
56/2	0.042
56/5	0.055
56/9	0.030
61/7, 62/5	0.029
56/3-7	0.056
61/5, 62/3 क	0.032
61/1	0.112
61/16, 62/7	0.071
99	0.084
98	0.135
70/1	0.128
योग . .	01.088 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3111-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—चिखलीखुर्द, ब.नं.-86, प.ह.नं.-29/17, रा.नि.मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.549 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
202/1	0.104
203/1	0.026

(1)	(2)
203/2	0.071
204	0.022
205/1	0.093
205/2	0.006
193/2	0.077
209/1	0.042
208/2	0.026
208/1	0.029
207/1	0.016
207/2	0.013
207/3	0.025
272/1	0.020
32/4	0.013
29/1-2	0.058
32/6	0.019
32/7	0.064
17/1, 18/1, 19/1, 19/3	0.073
17/4, 18/4, 19/5	0.095
17/3, 18/3, 19/4	0.101
360/1	0.036
359/1	0.235
372/2	0.106
374/1-4	0.056
381/2, 379	0.067
399/2 ख, 399/4	0.016
399/6	0.040
योग . .	01.549 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3112-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खैरीरानी, ब.नं.-56, प.ह.नं.-36, रा.नि.मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.577 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
23	0.103
24/5	0.107
40,43	0.192
56, 57/2	0.056
57/1, 58	0.061
61, 62/1-2-3, 63, 64/1-2-3-4	0.126
91/6	0.014
260/1	0.030
260/2	0.168
263/2	0.005
265/1	0.048

(1)	(2)
265/2	0.096
266/3	0.010
265/3	0.045
265/4	0.048
276/3	0.009
276/4	0.058
277/3	0.033
277/1	0.047
277/2	0.039
278/1	0.099
282/1, 283/1क	0.016
282/2, 283/1ख	0.060
162, 166	0.092
163	0.008
286/1	0.007
योग . .	01.577 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3113-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कौआखेड़ा, ब.नं.-18 प.ह.नं.-36 रा.नि.मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.381 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉं.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
22/4, 21/3	0.048
22/3, 23/1	0.064
30	0.096
256/1	0.064
31	0.050
32	0.035
33	0.016
213/6	0.036
34, 35	0.019
213/8	0.052
213/3	0.077
213/4, 213/2	0.262
213/1	0.160
172/2	0.020
3	0.074
2	0.002
8/1, 9/1	0.185

(1)	(2)	
16/1	0.023	
16/2	0.026	
15/1, 15/3	0.052	
13/1	0.020	
योग . .	01.381	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. 131-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—मुगहनी खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.808 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/1	0.269
6/1	0.148
6/2	0.093
10/1	0.127
10/2	0.110
61	0.005
62/1	0.030
62/2	0.020
66/1	0.006
निजी खाता भूमि योग . .	0.808

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 132-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद

(ग) नगर/ग्राम—घोरहटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.743 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15/2	0.029
16/1	0.019
16/2	0.153
17/1	0.024
113/1	0.285
113/2	0.157
116	0.063
117	0.021
118	0.063
119	0.015
120	0.110
121	0.084
135	0.009
146	0.021
147	0.216
148	0.021
153	0.240
155	0.010
156/2	0.010
185	0.015
186	0.021
187	0.031
188	0.147
189	0.077
190	0.031
191	0.051
235	0.188
236	0.015
237	0.005
238	0.027
244	0.147
257	0.042
263/1/ख	0.040
263/2	0.090
267	0.084
268/1	0.047
268/2	0.116
269	0.115
270	0.025
295	0.015
296	0.042
297	0.042
298	0.147
299	0.069
(1)	(2)
332	0.024
333	0.021
334	0.026
335	0.042
337/1	0.006
338/1	0.031
338/2	0.010
339/1	0.052
339/2	0.021
340/1	0.052
341/1	0.024
344/1	0.010
344/2	0.021
345/2	0.021
346/1	0.021
346/2	0.052
347	0.021
348	0.006
349	0.018
350	0.125
351	0.052
351/1324	0.115
352	0.042
353	0.032
354	0.004
377/3	0.063
391	0.063
441/1	0.011
441/2	0.260
442	0.251
488	0.012
489	0.010
500	0.005
509	0.021
513	0.007
514	0.010
516	0.025
517	0.042
518	0.035
523	0.077
533	0.015
720	0.003
721	0.033
722	0.046
725/1	0.020
725/2	0.020
726	0.073
727	0.110
728/1	0.015

(1)	(2)
729/1	0.270
729/2	0.130
913	0.031
914	0.015
915	0.115
916/1	0.048
916/2	0.097
917	0.031
922	0.015
923	0.035
924	0.282
932	0.062
933	0.006
935	0.062
936	0.110
937	0.010
938/3	0.021
939/2	0.063
939/3	0.042
940/1	0.023
940/2	0.044
941	0.015
942	0.010
951	0.015
953	0.015
1049/1316	0.014
1052	0.067
1053/1	0.110
1053/2	0.182
1050/1318	0.510
1066	0.021
1230	0.021
1224	0.010
1225	0.100
1226	0.100
1227	0.168
1228	0.031
1229	0.005
1231	0.125
1232	0.100
1243	0.063
1244	0.012
1259	0.021
1260	0.240
1261	0.015
1262	0.052
1263	0.125
1264	0.032
831	0.096
832	0.012
1050/1318	0.089
1066	0.013
1067	0.003
1182	0.015
1184	0.076
1185	0.052
1186	0.075
1187	0.016
1189	0.010
1190	0.052
1191	0.073
1192	0.040
1193	0.020
1194	0.005
1197	0.183
1199	0.032
1200	0.084
1202	0.021
1203	0.060
1212	0.024
1299	0.140
1300	0.240
1302	0.094
1303	0.032
1304	0.012
1306	0.216
1308	0.012
निजी खाता भूमि योग . .	10.743

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अमदराज माइनर एवं सब माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 133-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम—नादन टोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.101 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
371/2	0.101
निजी खाता भूमि योग . .	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 134-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—बर्रेहबडा
(घ) क्षेत्रफल—0.176 हे.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
605	0.020
606	0.028
607/1	0.035
607/2	0.020
608	0.049
609	0.012
610	0.012
निजी खाता भूमि योग . .	0.176

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 135-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—लालपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.101 हे.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
152	0.050
153	0.051
निजी खाता भूमि योग . .	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 2 मई 2016

क्र. 139-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—जमताल
(घ) क्षेत्रफल—1.504 हे.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
327/1/क	0.031
326/1/क	0.005
116/1/क	0.178
115/1/क	0.021

(1)	(2)
327/2	0.052
326/2	0.008
325	0.157
215	0.002
217/2/ख	0.052
217/2/क	0.033
217/1/क	0.116
217/3	0.116
126	0.105
220	0.021
221	0.073
127/1/क	0.095
222	0.002
116/2	0.085
127/2	0.002
125/1	0.157
122	0.015
123	0.095
93	0.052
92	0.031
निजी खाता भूमि योग . .	1.504

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 140-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—खेरिया कोठार
(घ) क्षेत्रफल—3.351 हे.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
45/1/क/1क/1/1	0.242
79/1	0.073
45/1/क/3	0.115
79/3	0.011
45/1/क/4	0.025
79/4	0.011
90/1	0.120
91/1	0.005
92/1/ख	0.087
92/1/क	0.036
92/3	0.035
93	0.121
84/1/क	0.072
84/1/ख	0.130
84/2	0.195
82	0.005
86/3	0.088
86/2	0.048
86/1	0.025
85/1	0.033
81/1	0.012
85/2/ख	0.065
85/2/क	0.057
81/2/क	0.002
81/2ख	0.008
116/1/क/1	0.089
121	0.004
122	0.088
123	0.120
79/2	0.011
79/5	0.011
117/2	0.135
117/1	0.015
118/1	0.010
117/3	0.128
118/3	0.031
124/1	0.185
124/3/क	0.033
124/3/ख	0.034
129/2/क	0.012
124/3/ग	0.033
129/2/ख	0.012
143	0.112
145	0.005
144	0.235
146/1	0.215
147	0.073
148/1ख	0.016
90/2	0.123
निजी खाता भूमि योग . .	3.351

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 141-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—इटमा कोठार
(घ) क्षेत्रफल—1.242 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
520	0.155
521	0.010
522	0.002
517/1	0.245
517/2	0.010
467/1	0.002
467/2	0.202
457/2	0.105
466/1	0.247
465/1	0.010
466/2	0.002
463	0.002
462/652	0.154
462	0.096
निजी खाता भूमि योग . .	1.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 142-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—सेमरा
(घ) क्षेत्रफल—2.227 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
402	0.250
401	0.025
384	0.330
385	0.040
383/1	0.028
383/2	0.130
379	0.186
378	0.190
375/2	0.122
376/2	0.065
377/2	0.016
365	0.065
364	0.020
366/2	0.073
366/1	0.072
366/3	0.010
366/4	0.129
367	0.025
179	0.425
178	0.020
172/2	0.006
निजी खाता भूमि योग . .	2.227

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 3 मई 2016

क्र. 143-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013,

संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—खेरिया पैपखार
(घ) क्षेत्रफल—2.542 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96	0.080
181	0.085
97/3	0.096
98	0.040
99	0.015
159/2	0.128
158/2	0.057
158/1/ख	0.032
158/1/क	0.032
197/1/क	0.073
198/1/क	0.069
199/1/क	0.015
153	0.048
152/1	0.064
154	0.032
102/क/2 शा. नं. 103	0.025
152/2	0.006
106	0.035
169/440/1/ख	0.112
138	0.202
169	0.120
165	0.005
168	0.021
167	0.015
171	0.080
172	0.105
183/1/क/2	0.008
183/1/क/1	0.043
183/1/ख	0.040
183/2	0.021
179/2/क	0.060
179/2/ख	0.032
193/2	0.010
194	0.215
197/2	0.121
200	0.035
203/1	0.045
205/1	0.021
203/2/ख	0.162
205/2/ख	0.022
203/2/क	0.090
205/2/क	0.025
निजी खाता भूमि योग . .	2.542

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 144-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—सोनौरा कोठार
(घ) क्षेत्रफल—2.839 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
405	0.044
404	0.078
401	0.142
1013/380	0.036
400/1	0.034
81/1	0.065
380	0.003
396	0.085
395	0.133
381	0.205
392/1	0.096
112/1/ख	0.021
382/2	0.020
383	0.002
382/1ख	0.145
379/2/घ	0.055

(1)	(2)
379/1/घ	0.110
379/2/ग	0.002
379/2/ख	0.015
376	0.105
375/3	0.028
375/1	0.020
79/1	0.052
80/1	0.021
79/2/क	0.045
80/2/क	0.042
82/1	0.025
96/1	0.065
82/2	0.095
96/2	0.040
81/2	0.040
83	0.030
98	0.020
97	0.065
95	0.145
94/2/ख	0.078
94/2/क	0.075
93/2/3	0.064
93/1/ख/2	0.023
93/2/4	0.064
113/2	0.112
93/2/2	0.012
93/1/ख/1	0.005
104	0.005
113/1	0.062
114/1	0.028
112/1/ग	0.065
112/2	0.020
112/1/क	0.020
111/2	0.031
110/2	0.004
109/1	0.005
108/3	0.005
108/2	0.032
निजी खाता भूमि योग . .	2.839

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 145-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—वीदा
(घ) क्षेत्रफल—5.813 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
339	0.010
330/2/ख	0.032
330/2/घ	0.115
330/2/क	0.115
330/2/ग	0.115
330/1/ख	0.122
330/1/क	0.118
327	0.004
326	0.010
325	0.740
322	0.015
267/1	0.005
267/2	0.152
265/1	0.024
266/1	0.065
263/1	0.120
884/5/क	0.040
265/2	0.072
266/2	0.035
263/2	0.060
884/5/ख	0.040
263/3	0.005
261/1	0.003
262	0.280
247/1/क	0.025
245/1	0.005
246/1	0.066
247/2/क	0.061
256	0.025
248	0.235
249	0.250
250	0.015
251/1	0.330
252/1/क	0.028
810/1	0.034
810/2	0.083

(1)	(2)
806	0.016
807	0.205
808	0.025
852/4	0.010
851	0.045
874/1क	0.004
790	0.063
776/1	0.016
775/1	0.251
775/2	0.164
874/1/ख	0.101
874/2/क	0.105
881/1	0.048
874/2/ग	0.025
774/4/घ	0.025
774/1/ख	0.081
889/4/ख	0.039
888/4/ख	0.130
888/3/ख	0.040
774/1/4	0.093
888/4/क	0.112
876/2	0.022
877/2	0.152
877/1	0.064
872/1/3	0.002
872/994/1/3	0.025
885/1/3	0.002
873/1/3	0.033
878/1/5	0.032
878/1/4	0.045
878/2/क	0.072
878/2/ख	0.002
881/2/1	0.005
882/3	0.142
882/1	0.060
884/4	0.088
887/2	0.005
887/1	0.010
निजी खाता भूमि योग . .	5.813

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 5 मई 2016

क्र. 147-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—बारापत्थर
(घ) क्षेत्रफल—0.952 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/2/1	0.063
17/1/2	0.254
8/1	0.113
17/1/1	0.027
18/2	0.238
18/3	0.144
18/1	0.108
19/3/3	0.005
योग . .	0.952

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 148-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—नामतारा
(घ) क्षेत्रफल—0.771 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
241/1/1	0.005
241/1/4	0.011

(1)	(2)
241/1/5	0.011
241/1/6	0.011
241/1/7	0.028
241/1/8	0.014
241/1/9	0.018
241/1/10	0.014
241/1/11	0.014
241/1/13	0.014
244/1	0.051
244/2	0.013
244/3	0.013
244/4	0.014
244/5	0.009
244/6	0.020
244/7	0.024
244/8	0.022
244/9	0.028
244/10	0.028
244/11	0.028
244/12	0.028
244/13	0.028
244/14	0.028
245/2	0.023
245/1	0.036
245/3	0.023
245/4	0.023
245/5	0.023
245/6	0.010
245/7	0.010
245/8	0.023
245/9	0.023
245/10	0.023
245/11	0.023
229/1	0.012
योग . .	0.771

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 149-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—इटमा उबारी
(घ) क्षेत्रफल—1.507 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35/1	0.035
36/1	0.317
39/1	0.324
39/2	0.219
36/2	0.204
37	0.042
34	0.366
योग . .	1.507

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 150-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—नागौद
(ग) नगर/ग्राम—पिपरी
(घ) क्षेत्रफल—4.219 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
252/2/1	0.110
252/1	0.149

(1)	(2)
15	0.011
14/1	0.088
16	0.293
17	0.264
9/2	0.021
8/1	0.423
46/275/1	0.003
48/1	0.042
49/2	0.230
49/1	0.267
49/277	0.355
54/1	0.003
53/2/क	0.319
54/2	0.021
62	0.190
63	0.021
61/1	0.192
65/1	0.044
86/1	0.013
87/1	0.371
86/2	0.013
87/2	0.012
85	0.048
84	0.301
67/1	0.012
68/1	0.211
69/1/1	0.192
योग . .	4.219

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 151-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—टीकर
(घ) क्षेत्रफल—0.607 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
6/1ख/1क	0.202
6/1ख/2क	0.405
निजी खाता भूमि योग . .	0.607

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध डासवर्सन चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 155-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—हिनौता
(घ) क्षेत्रफल—2.053 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/5	0.363
7	0.380
9	1.010
328	0.300
निजी खाता भूमि योग . .	2.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध डायवर्सन चेनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 29 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 114 एलए.-2015.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—अत्तर
(घ) अर्जित रकबा—7.58 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100	0.02
99	0.08
98	0.25
97	0.09
96	0.13
95	0.09
94	0.08
92	0.12
88	0.04
329	0.10
341	0.09
343	0.05
344	0.12
346	0.07
442/1	0.08
442/2	0.20
103/1	0.65
109/2	0.22
110/2	0.35
153	0.23
154	0.25
327	0.37
317	0.23
316	0.01
301/1	0.40
301/2	0.05
300	0.05
296	0.07
295	0.19
443	0.14
444/3	0.08
444/1	0.06
444/4	0.01
446	0.45
447	0.07
500/1	0.50
501	0.03
500/4	0.05
500/2	0.03
500/3	0.02
476	0.40
514	0.15
513	0.15
512/2	0.06
512/1	0.10
511	0.28
505/1	0.20
505/2	0.12
योग . .	7.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 02-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 113 एलए.-2015.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—अजंटी
(घ) अर्जित रकबा—1.84 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
611	0.09
610	0.33
602/1	0.05
605/1	0.05
572/1	0.07
572/2	0.03
571	0.05
570	0.04
568	0.02
565	0.01
564/1	0.01
564/2	0.01
562	0.01
560/1, 561/1	0.01
560/3	0.02
560/2	0.03
559/1	0.05
559/2	0.02
559/3	0.03
559/4	0.03
559/5, 558	0.07
557	0.02
556	0.08
555	0.09
554	0.16
530	0.11
531	0.01
423	0.05
424	0.06
493	0.01
518	0.01
519	0.02
520	0.02
524	0.03
528	0.12
525/1	0.01
525/2	0.01
योग . .	1.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 115 एलए.-2015.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के

अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—सिर्रा
(घ) अर्जित रकबा—1.69 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
306	0.06
301	0.04
300	0.04
298	0.04
296	0.04
295	0.10
260	0.05
259/1	0.05
259/2	0.05
252	0.01
251	0.01
250	0.01
479	0.09
476/2	0.02
476/1	0.02
476/3	0.02
694	0.06
692/8	0.03
692/7	0.03
866/1	0.12
866/2	0.05
872	0.33
905	0.12
904	0.12
690	0.02
903	0.12
901	0.01
900	0.01
899	0.01
898/2	0.01
योग . .	1.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 116 एलए.-2015.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—चिचगोहन
(घ) अर्जित रकबा—0.78 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
543	0.01
1401	0.07

(1)	(2)
1398	0.04
1397	0.07
1502	0.02
1601	0.03
1602	0.02
1603	0.06
1604	0.08
1606	0.18
1545	0.03
1684	0.03
1623	0.02
1624	0.05
1651/1	0.07
योग . .	0.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 117 एलए.-2015.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—रोहनाई

(घ) अर्जित रकबा—0.08 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
409	0.06
408/1	0.02
योग . .	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 117 एलए.-2015.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—अहमदपुर खैगांव

(घ) अर्जित रकबा—0.25 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
431	0.03
432	0.07

(1)	(2)
616	0.01
615	0.01
614	0.01
613	0.01
556	0.02
557	0.01
558	0.01
559	0.01
560	0.06
योग . .	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा–सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 07-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 119 एलए.-2015.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—तलवड़िया

(घ) अर्जित रकबा—1.99 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81	0.27
60/2	0.04
60/1	0.30
152/1	0.05
152/2	0.03
152/3	0.06
33	0.03
38	0.10
55	0.03
56	0.06
152/4	0.05
154	0.15
160	0.02
267	0.06
266	0.38
263	0.19
269/1	0.17
योग . .	1.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खण्डवा–सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 08-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 120 एलए.-2015.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं

पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—खण्डवा तरफ कुनबी
(घ) अर्जित रकबा—0.280 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
277	0.030
285, 284, 286, 292	0.020
408	0.230
योग . .	0.280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—खण्डवा-सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 मई 2016

पत्र क्र. 1385-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—बकिया तिवरियान
(घ) क्षेत्रफल—2.540 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
324	0.028
323	0.031
265	0.027
267	0.040
268	0.026
269	0.091
315	0.033
312	0.056
309	0.051
306	0.066
296	0.020
298	0.005
299	0.052
301	0.017
302	0.032
303	0.068
304	0.044
360	0.151
1545	0.038
1546	0.018
1547	0.010
1550	0.044
1549	0.032
1912	0.052
1916	0.004
1922	0.100
1960	0.044
1961	0.112
1963	0.130
1969	0.045
1971	0.043

(1)	(2)
1972	0.059
1978	0.076
1980	0.037
1983	0.028
1984	0.030
2139	0.084
2138	0.074
2132	0.003
2131	0.040
2149	0.022
2150	0.014
2151	0.012
2125	0.056
2124	0.058
2123	0.057
2122	0.060
2113	0.021
2112	0.076
2109	0.011
2582	0.046
2599	0.028
2598	0.024
2597	0.025
2596	0.011
2593	0.048
1421	0.015
1429	0.015
कुल योग :	2.540

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत महिदल शाखा नहर क्र. 2 के विस्तार के अन्तर्गत बकिया माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1387-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) ग्राम—गौरइया

(घ) क्षेत्रफल—1.575 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
1163	0.151
1168	0.138
1169	0.280
1170	0.014
1223	0.302
1178	0.127
1220	0.173
1197	0.134
187	0.149
1228	0.044
1211/1	0.013
924/2	0.016
186	0.007
190	0.003
191	0.017
योग :	1.568
ब. शासकीय भूमि	
1164	0.007
योग . . अ +ब	
कुल योग :	1.575

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियेजना के अंतर्गत पथंण्डा वितरक नहर की पतेर माइनर एवं छूटे रकवे में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 7 मई 2016

पत्र क्र. 1417-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—धुचियारी 150

(घ) क्षेत्रफल—8.305 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
689	0.126
690	0.003
708	0.101
707	0.251
706	0.037
705	0.008
704	0.083
700	0.215
703	0.037
702	0.263
682	0.106
1281/730	0.251
730	0.189
729	0.114
738	0.141
728	0.044
739	0.109
1156	0.077
1153	0.105
1157	0.188
1142	0.111
1141	0.085
1140	0.141
1139	0.144
1137	0.153
1135	0.062
1410/1137	0.033
1411/1137	0.010
1110	0.028
1112	0.309
1111	0.079
1113	0.004
1087	0.014
1086	0.464
1061	0.045
1091	0.120
1060	0.067
1059	0.067
1058	0.158
1037	0.095
1041	0.098
1033	0.319
1030	0.202
1031	0.014
1016	0.019
962	0.008
963	0.028
1017	0.061
1015	0.023
1014	0.012
1013	0.012
1012	0.024
1018	0.039
1019	0.032
1020	0.041
1011	0.004
1433/966	0.039
967	0.026
1009	0.038
1010	0.069
1008	0.039
1005	0.013
1401/1009	0.017
1007	0.035
1006	0.030
1279/972	0.001
972	0.002
974	0.011

(1)	(2)
872	0.001
993	0.093
975	0.083
992	0.032
978	0.004
986	0.107
987	0.012
979	0.121
985	0.037
947	0.032
980	0.040
981	0.069
982	0.002
909	0.001
911	0.073
912	0.307
913	0.022
860	0.047
875	0.066
874	0.210
861	0.167
873	0.170
862	0.089
1374/862	0.367
863	0.004
1040	0.067
983	0.014
709	0.070
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	8.200
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
688	0.041
984	0.045
876	0.019
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.105
योग . . अ +ब :	8.305

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—''बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1419-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—रोजवाह-501

(घ) क्षेत्रफल—0.745 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
112	0.086
141/112	0.339
111	0.188
110	0.123
109	0.009
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.745
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
योग . . अ +ब :	0.745

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—''बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1421-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—बेला

(घ) क्षेत्रफल—0.136 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
1146	0.134
1190	0.002
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.136
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
योग . . अ +ब :	0.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1423-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—समान 521

(घ) क्षेत्रफल—3.864 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
302	0.015
301	0.017
290	0.209
289	0.175
291	0.030
279	0.008
288	0.088
295	0.050
287	0.011
286	0.392
296	0.025
242	0.583
243	0.050
44	0.016
45	0.061
57	0.166
58	0.141
62	0.071
47	0.101
56	0.084
54	0.093
53	0.081
52	0.077
27	0.114
26	0.116
22	0.190
9	0.100
19	0.055
18	0.207
10	0.027
17	0.013
11	0.187
13	0.085
12	0.142
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.780
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
154	0.022
155	0.026
183	0.036
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.084
योग . . अ +ब :	3.864

पत्र क्र. 1427-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—बांसा 30

(घ) क्षेत्रफल—0.560 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
1131/1	0.040
1782	0.361
1783	0.048
1774	0.044
1097	0.041
1134	0.026
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.560
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
योग . . अ +ब :	0.560

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1429-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—सोढ़ा 621

(घ) क्षेत्रफल—0.453 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि	
622	0.053
623	0.041
624	0.052
842	0.013
840	0.021
824	0.003
826	0.016
837	0.030
838	0.012
835	0.021
836	0.005
833	0.003
834	0.003
832	0.006
831	0.001
866	0.008
865	0.003
468	0.014
466	0.006
459	0.072
451	0.004
452	0.006
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.393
ब. म. प्र. शासन की भूमि	
547	0.060
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.060
योग . . अ +ब :	0.453

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—''बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 1'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 6 मई 2016

क्र. 463-भू-अर्जन-16-नस्ती क्रमांक 133-2015 एलए.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची (3) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—खेडीबुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.223 हेक्टर.

अनुसूची (1)

खसरा क्रमांक	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)
12/1	0.600	0.226
12/2	1.600	0.141
12/3	1.100	0.105
12/4	1.060	0.053
13/4	1.200	0.405
16/1	0.800	0.081
17	0.400	0.400
18/5	1.070	0.251
28	6.630	0.992
33	2.060	0.728
35/1	0.340	0.097
36/1	0.550	0.008
41/1	0.890	0.210
42/1	0.600	0.537
42/2	0.400	0.095
42/3	0.400	0.095
43/1	0.520	0.358
43/2	0.420	0.420
43/3	0.450	0.450
43/4	0.030	0.030
44/1	1.400	0.100
44/2	1.390	0.060
45	0.490	0.376
46	0.970	0.688
47	0.940	0.482
48	0.630	0.389
49	0.720	0.526
50	0.510	0.020
51	0.660	0.050
58	0.400	0.008
59	0.740	0.052
64	0.720	0.080
65/1	0.100	0.073
65/2	0.550	0.048
66/1	0.400	0.100
66/2	0.260	0.068
206/1	2.210	0.283
316	0.920	0.138
योग . .	35.130	9.223

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार

1. वार्षिकी या नियोजन का विकल्प.—प्रभावितों की मांग को ध्यान में रखते हुये रुपये 5 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख) का एक बारगी संदाय किया जावेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5 लाख प्रति एकड़ का अनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जावेगा. जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

(अ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपया 3,00,000/- प्रति एकड़,

(ब) Ex-Gratia रुपये 50,000/- प्रति एकड़,

(स) विशेष अनुदान रुपया 50,000/- प्रति एकड़,

(द) प्रभावितों पर आश्रित नि:शक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.

2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक-पृथक 5.5 लाख की राशि देय नहीं होगी. सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपया 5,00,000/- देय होगा.

2. **ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें.**— कार्ययोजना के बिन्दु क्रमांक 12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधा हेतु प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिए दिया जाना प्रावधानित.

3. **खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.**—एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

4. **शेष बची भूमि का अधिग्रहण.**—कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी. इससे कम भूमि का अर्जन भूमि स्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.

5. **सिंचाई हेतु पाईप-लाईन निकालने की अनुमति.**—सिंचाई के लिए पाईप-लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप-लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

6. **संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान** .—रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- (अक्षरी रुपये पच्चीस हजार मात्र) प्रति एकड़ का भुगतान किया प्रावधानित.

7. **विशेष पुनर्वास अनुदान (देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).**— अ. जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा—राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.

ब. प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो, इस राशि में से अधिनिर्णित राशि कम करके दी जावेगी.

8. **प्रशिक्षण.**—एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों (आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाएं आयोजित की जावेगी:—

1(अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.

(ब) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारपवन्डर, प्लम्बरिंग, कारपेन्टरिंग, शटरिंग, मोटर ड्राईविंग, पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.

2. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस-पास के क्षेत्र में राज्य के आई. टी. आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच लगाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा.

9. **भूमि विकास राशि.**—वर्तमान में इस परियाजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है, यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है, तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि (अधिकतम 2 हेक्टर) के लिए देय होगी.

10. **छात्रवृत्ति.**—प्रभावित परिवार के छात्र-छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी. अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी, यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.

11. **स्वास्थ्य सेवाएँ.**—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा.

भूमि का नक्शा (प्लान) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 5 मई 2016 को अनुमोदित विस्तृत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुनासा, महाप्रबंधक एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

ORDER

Jabalpur, the 2nd May 2016

No. 495-Confdl.-2016-II-3-1-2016.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Induction Course (First Phase) for the newly appointed Civil Judges Class II from 2015 Batch from 09-05-2016 to 04-06-2016 in the Academy. Trainee Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course:—

1. Barring exceptional circumstances, the paticipants nominated for the course shall not pray for adjustment.
2. The Patricipants shall report by 9.30 a. m. on 09-05-2016 in the Lecture Room of MPSJA at Jabalpur.
3. They shall appear for the Course in prescribed uniform (i. e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy. The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Academy to **Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A.G. I on Mobile No. 91-8878747939 or Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 91-713717147** at least 3 days in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicles. Judicial Officers included in the Course will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only) according to their programme.
6. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to only T. A. & D. A. as per rules. However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants from preceding day of the commencement to training upto morning of the succeeding day of the end of training.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course, free of charge.

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्र. 499-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर.	सागर	इंदौर	जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर वृत्त, इंदौर की हैसियत से रिक्त पद पर.
2.	श्री संजीव सुधाकर, कालगांवकर, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा.	विदिशा	जबलपुर	अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर की हैसियत से श्री प्रदीप कुमार व्यास के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	श्री धरमिन्दर सिंह, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर	जबलपुर	एडिशनल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्र. D-1532-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. वाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 20 से 30 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 अप्रैल 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में 01 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. वाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. वाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1534-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 16 से 22 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2016

क्र. 501-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 95, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7 मई 99 तथा क्रमांक फा.1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री प्रदीप कुमार व्यास, प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर.	जबलपुर	उज्जैन	उज्जैन	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से.	उज्जैन

क्र. 502-गोपनीय-2016-दो-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुमारी साधना माहेश्वरी	बड़वानी	सेंधवा	बड़वानी	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय कुमार सिंह के स्थान पर.
2.	श्री अजय कुमार सिंह	सेंधवा	बड़वानी	बड़वानी	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी साधना माहेश्वरी के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 5 मई 2016

क्र. 513-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर)	बैतूल	सागर	सागर	सिविल जिला, सागर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल वर्मा के स्थान पर.
2.	श्री कुशल पाल सिंह	राजगढ़	उमरिया	उमरिया	सिविल जिला, उमरिया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अरुण सिंह तोमर के स्थान पर.
3.	श्री राम नारायण चौधरी	पन्ना	बैतूल	बैतूल	सिविल जिला, बैतूल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे (सीनियर) के स्थान पर.

क्र. 514-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99 तथा क्रमांक फा. 1-2-90/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4-5-2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री ऋतुराज बसंत कुमार	सीहोर	राजगढ़	राजगढ़	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से. श्री कुशल पाल सिंह के स्थान पर.	राजगढ़
2	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सीनियर)	मनावर	पन्ना	पन्ना	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री राम नारायण चौधरी के स्थान पर.	पन्ना

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

क्र. सी-1424-तीन-6-4-81 भाग-पांच.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, एतद्द्वारा, अपनी अधिसूचना क्रमांक बी/1480, दिनांक 8 अप्रैल 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री उमेश पांडव, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.	राजस्व जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड, तहसील रौन एवं तहसील मिहोना की क्षेत्रीय अधिकारिता.	विशेष न्यायालय क्रमांक-1, भिण्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2-क	श्री पी. सी. आर्य, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद, भिण्ड.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद का न्यायालय.	विशेष न्यायालय गोहद, भिण्ड
2-ख	श्री पवन कुमार शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लहार, भिण्ड.	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लहार का न्यायालय.	विशेष न्यायालय लहार, भिण्ड
2--ग	श्री कुलदीप जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.	राजस्व जिला भिण्ड की तहसील अटेर, तहसील गोरमी एवं तहसील मेहगांव की क्षेत्रीय अधिकारिता.	विशेष न्यायालय क्रमांक-2, भिण्ड

No. C-1424-III.-6-4-81 Pt.-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (Act No. 36 of 1981), the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D-1480-III-6-4-81 Pt-VII, dated 8th April, 2015, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. (2), the following entries shall be substituted :—

SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government.
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Shri Umesh Pandav, IVth ASJ, Bhind.	Areas of Tehsil Bhind, Tehsil Raun & Tehsil Mihona of Revenue District Bhind.	Special Court No. 1, Bhind.
2-A	Shri P. C. Arya, IInd ASJ, Gohad, Bhind.	Territorial jurisdiction of Gohad.	Special Court Gohad, Bhind
2-B	Shri Pawan Kumar Sharma, ASJ, Lahar, Bhind.	Territorial jurisdiction of Lahar.	Special Court Lahar, Bhind
2-C	Shri Kuldeep Jain, IInd ASJ, Bhind	Areas of Tehsil Ater, Tehsil Gormi and Tehsil Mehgaon of Revenue District Bhind	Special Court No. 2, Bhind

Jabalpur, the 23rd April 2016

No. C-1549-III-6-4-57.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Additional Sessions Judges, named in the Column No. (3) of the following Table for the places specified in the corrresponding entry in Column No.(2) thereof for trial of offences relating to matters investigated by

the **Central Bureau of Investigation** in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of designating Judges for the places specified in Column No. (2) of the following Table:—

TABLE

S. No. (1)	Place (2)	Name of the Additional Sessions Judge (3)
1.	Bhopal	Shri Raveendra Kumar Bhadrasen, II ASJ
2.	Indore	Shri Jai Prakash Singh, IV ASJ

Jabalpur, the 27th April 2016

No. B-1996-III-6-6-84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Ku. Jasbeer Kaur Sasan, IX ASJ, Ujjain to be the Presiding Officer of the Court for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the District Headquarter Ujjain, in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of Ujjain.

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, OSD (DE).